न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2019 अपील /बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 21–12–2015
निर्णय दिनांक– 11.04.2019

1. श्री मोती सिंह पिता श्री दर्जन सिंह राजपूत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा
2. श्री रामसिंह पिता श्री जोरावर सिंह राजपूत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा
3. श्री मनहोर सिंह पिता श्री दर्जन सिंह राजपूत निवासी सुरपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री इन्दरजीत सिंह पिता भारतेन्द्र सिंह राजपूत निवासी बासवाड़ा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सत्यप्रकाश व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 35/2015 निर्णय दिनांक 02–07–2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक– 11.04.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा प्रकरण संख्या 35/2015 निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 10.12.2015 को प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरपुर की आराजी नम्बर 936/451–255 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है। मौजा सुरपुर की उक्त भूमि 65 बीघा 19 बिस्वा के मूल रूप से खातेदार महाराज साहब भारतेन्द्रसिंह पिता अभयसिंह जी राजपूत निवासी सुरपुर थे। उक्त भूमि में से अपीलान्ट संख्या 1 ने दिनांक 25.06.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि, अपीलान्ट सं. 2 ने दिनांक 25.06.1971 को 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि एवं अपीलान्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 25.06.1971 को 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि भारतेन्द्रसिंह जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. भारतेन्द्रसिंह जी के पुत्र है। मौके पर भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम पेमूदगी नहीं होने से खातेदारों के मध्य आपसी विवाद होते रहते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसके स्वामित्व व खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 936/451–255 रकबा 04 बीघा भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं होने से तरमीम हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2015 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज 04 बीघा भूमि को नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 28.03.2019 को उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि मौजा सुरपुर के मूल खसरा नम्बर 255/451 है तथा उक्त सर्वे का कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा है। उक्त भूमि में अन्य खातेदार भी जिनको इसी सर्वे नम्बर में भूमि आवंटित हुई है, परन्तु मौके पर पैमूदगी तरमीम नहीं की गई। नक्शा ट्रेस में तरमीम पैमूदगी नहीं होने से अन्य खातेदारों की बीच आपसी विवाद होता रहता है क्योंकि सभी खातेदार पूर्ण रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा पर अलग अलग रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उसकी 04 बीघा भूमि को नक्शे में तरमीम कराने हेतु अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत 2015 के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से निर्णय दिनांक 02.07.2015 से नक्शे में तरमीम के आदेश पारित कर दिये गये। अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावी होकर पीड़ित है, अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया, न ही सुना गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक था। अपीलान्ट की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बताने से एवं गलत तरमीम होने से उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से धारा 96 रा.ले.रे.ए. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौजा सुरपुर की उक्त भूमि 65 बीघा 19 बिस्वा के मूल रूप से खातेदार महाराज साहब भारतेन्द्रसिंह पिता अभयसिंह जी राजपूत निवासी सुरपुर थे। उक्त भूमि में से अपीलान्ट संख्या 1 ने दिनांक 25.06.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि, अपीलान्ट सं. 2 ने से दिनांक 25.06.1971 को 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि एवं अपीलान्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 25.06.1971 को 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि भारतेन्द्रसिंह जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. भारतेन्द्रसिंह जी के पुत्र है। अपीलान्ट में क्रय शुदा भूमि पर सौपे गये कब्जे के आधार पर ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 4 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में रह जाने से उक्त सर्वे नम्बर का तरमीम अवैध रूप से अपीलान्ट के कब्जे व काश्त के स्थान पर अपनी भूमि बताकर गलत ढंग से तरमीम करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर धमकियां देने कि तुम्हारी कृषि भूमि में से 4 बीघा भूमि मेरी निकलती है जिसका कब्जा मुझे दे दो अब तुम्हे खेती नहीं करने देगें, क्योंकि कोर्ट से हमारे हक में फैसला हो चुका है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा जांच की गई न्यायालय द्वारा जिस भूमि पर तरमीम हुई है वह अपीलान्ट की भूमि है एवं वह हितबद्ध व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है एवं उसे निर्णय की जानकारी होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावें एवं इस कारण न्यायहित में अपील अवधि की मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसे मामलों में धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट के प्रार्थना पत्र लाई नहीं होते है। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में आरआरडी 2002 पेज 56, आरआरडी 2002 पेज 736 पेश कर धारा 136 रा.भू. रा. अधि. 1956 के स्कोप बाबत विवेचन करते हुए कथन किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि धारा 136 ले.रे.ए. के तहत केवल क्लेरिकल एरर्स या ऐसी गलती जिसे दोनो पक्ष स्वीकार करते हो, को ही दुरूस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में यह न तो क्लेरिकल एरर्स है एवं न ही दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया है। अपीलान्ट को तो बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता से क्रय की हुई है परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उनको बिना पक्षकारान बनाये भूमि को अपने नाम गलत ढंग से तरमीम करवा ली। जब विवादग्रस्त जमीन के सम्पूर्ण भाग पर अन्य लौगों का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ–साथ कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है, प्रकरण में किसी भी प्रकार की शहादत नहीं ली गई है। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उनके यहां लाई नहीं होने के बावजूद 04 बीघा भूमि की तरमीम का

आदेश पारित किया गया जो बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त कराया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि तीनों अपीलान्ट्स ने अपने द्वारा खरीदे गये तथाकथित भाग का आराजी नम्बर और न ही उस भाग के पड़ौस को प्लीड किया गया है। जिस जगह नक्शा में पैमूदगी की गई है उसके चारों तरफ के पड़ौस में अपीलार्थीगण की तथाकथित खरीदी गई आराजी आती हो तो ऐसी कोई प्लीडिंग नहीं है। स्पष्ट प्लीडिंग के अभाव में यही अवधारणा की जा सकती है कि अपीलार्थीगण की तथाकथित खरीदी गई आराजी, नई की गई पैमूदगी के आसपास स्थित नहीं है और अगर होती तो अवश्य प्लीड की जाती। जब अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या1 की जमीन के पड़ौसी ही नहीं हो तो ऐसी पैमूदगी से वे अपने आप को पीड़ित कैसे मान सकते है ? अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 1 यह कह कर आया है कि उसके पड़ौसियों से विवाद होते रहते है । क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि का हर हितधारी प्रत्यर्थी सं. 1 का पड़ौसी हो और क्या ऐसा करते समय उसका तात्पर्य अपीलार्थीगण से था ? प्रत्यर्थी सं. 1 के इस कथन का सहारा लेकर अपीलार्थीगण स्वयम्भू पड़ौसी बनकर खड़े जा जाऐं और कहें कि वे पीड़ित है कतई विश्वास योग्य नहीं है। न्यायालय में अपीलार्थीगण अपने पीड़ित पक्ष होने के आधार विश्वसनीय साक्ष से साबित करने और उनके ऊपर जो बर्डन था उसे उठाने में असमर्थ रहे है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 ने सारी जमीन बेच दी उसके पास कुछ नहीं बचा किन्तु इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है कि कब, किसको व कितनी जमीन बेची और समर्थन में राजस्व अभिलेख/विक्रय विलेख पेश नहीं किये गये है। आज भी 04 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 के खाते में दर्ज है जिसके लिये पैमूदगी का आदेश जारी हुआ है। केवल सतही बात करके अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित एक वैध व नियमित आदेश को चुनौती नहीं दे सकते। अपीलार्थीगण का एक पक्ष यह है कि धारा 136 में केवल क्लेरिकल मिस्टेक ही सुधारी जा सकती है, पैमूदगी करना इसमें नहीं आता है। केवल चूकवश गलत धारा लिखने से नही बल्कि प्लीडिंग्स और चाही गई रिलिफ्स से ही ही यह तय होता है कि मामला किस विधि से शासित होगा। हकीकत में यह मामला धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का है जिसमें उपखण्ड अधिकारी को भू–अभिलेख अधिकारी होने से नक्शों में सुधार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार हासिल है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत प्रावधान का उल्लेख कर दिया जाना केवल एक अनियमितता मात्र है जिसके आधार पर किसी अपीलाधीन आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा बदला या उलटा नहीं जा सकता है। इस संबंध में धारा 99 सीपीसी का उल्लेख किया गया। अपील की चरण क्रम–6 में अपीलार्थीगण द्वारा लिये गये आधारों से ही स्पष्ट है कि मूल आराजी नम्बर 255/451 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से उनका हित मात्र उतने रकबे पर ही होना कथन किया गया जितना की इस चरण में अंकित है। इस चरण में अंकित अपीलार्थीगण के रकबे को जोड़ने के बाद भी काफी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि बच जाती है जिसके खातेदार मौजूदा पक्षकारान के अलावा अन्य पक्षकारान भी है जिन्हे इस अपील में न तो अपीलार्थी बनाया गया और न ही प्रत्यर्थी। अपीलार्थीगण से इसका कारण पूछा जावे तो सम्भवतः वे यही बयान करेंगे कि अन्य खातेदारों से उनका कोई लेना देना नहीं है इस कारण उन्हे पार्टी नहीं बनाया गया है। इसी तर्क पर प्रत्यर्थी सं. 1 की 04 बीघा भूमि की पैमूदगी की गई है उसका कोई भी पड़ौसी इस पैमूदगी से पीड़ित नहीं है बल्कि सन्तुष्ट है और राहत महसूस कर रहा है कि चलो प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी आराजियात की पैमूदगी करवाकर अपनी सीमाएं सुनिश्चित करवा ली है। इसी कारण दूर स्थित आराजियात के खातेदार अपीलार्थीगण ही अपील लेकर आये है और अपीलार्थीगण का अपनी अपील में यह केस ही नहीं है ि कवे उस 4 बीघा भूमि के पड़ौसी है जो नक्शा में पैमूद गी गई है। इस कारण वे किसी भी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार थे ही नहीं ओर जब वे आवश्यक पक्षकार थे ही नही ंतो उन्हें पीड़ित पक्षकार का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण का अपनी अपील में यह कहना कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने मौके पर आकर उन्हें कहा कि वे जमीन छोड़कर चले जावें क्योंकि पैमूदगी उनके नाम पर हो गई है के खण्डन में निवेदन है कि सर्वप्रथम अपीलार्थीगण ये तो बतावें कि उनकी जमीन जिस पर वे अपने आपको काबिज होना बताते है उसके आराजी नम्बर क्या है ? अपीलार्थीगण ने जानबुझकर आराजी नम्बर छिपाये है। इसके पीछे उनका ulterior motive यह रहा कि अगर वे आराजी नम्बर अंकित कर देगें तो उन्हें अपने आराजी नम्बरों के पड़ौस भी अंकित करने होगें और अगर पड़ौस सामने आ गये तो वे उस नई पैमूद की गई आराजी से दूर कहीं बैठे होना साबित हो जायेगें और अगर दूर बैठना साबिल हो जायेगा तो वे अपने आपको पीड़ित पक्षकार ही साबित नहीं कर पायेगें। प्रत्यर्थी सं. 1 राजस्व वेब साइट अपना खाता पर उपलब्ध जानकारी अनुसार अपीलार्थीगण श्री मोतीसिंह पिता दर्जनसिंह जी राजपूत आराजी नम्बर 1115/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, श्री रामसिंह पिता श्री जोरावरसिंह जी राजपूत आराजी नम्बर 1116/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, श्री मनोहरसिंह पिता दर्शनसिंह जी राजपूत आराजी नम्बर 1119/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा एवं अन्य खातेदार श्री नागेन्द्रसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत आराजी नम्बर 1114/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 10 बीघा, श्री दीतिया पिता गोतम भील आराजी नम्बर 1117/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, श्री करणसिंह, मोतीसिंह, खुमानसिंह, दलिपसिंह पिता गमीर सिंह वगैराह आराजी नम्बर 1118/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, श्री मोतीसिंह, भोपालसिंह पिता ईश्वर सिंह आराजी नम्बर 1217/936 (शा.नं. 451–255) रकबा 03 बीघा कुल योग रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा बेची जाने के बाद शेष बची भूमि आराजी नम्बर 936/451–255 रकबा 04 बीघा का खातेदार प्रत्यर्थी सं. 1 है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तथाकथित धमकी तीनों अपीलार्थीगण के आराजी नम्बर 1115/936 (शा.नं. 451–255), 1116/936 (शा.नं. 451–255), 1119/936 (शा.नं. 451–255) बाबत दी जाना

माना जावें या उनमें से किसी एक आराजी बाबत ? अपील के ज्ञापन में यह पता नहीं चलता है। यह अपील के ज्ञापन से पता नहीं चलता है कि जिस भी आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जाना कहा गया है उसके पड़ौस क्या है और प्रत्यर्थी सं. 1 की आराजी नम्बर जिसकी पैमूदगी की गई उनके पड़ौस मौके पर क्या है। इस अपील का मिथ्या आधार तैयार करने की दुर्भावना से ध्मकी देने का बहाना किया गया है। इस तरह से तो हर कोई आकर एक वैध और उचित आदेश को चुनौती देने के लिये खड़ा हो जायेगा। अपील के आज्ञपन से अपीलार्थीगण की आराजियात का पूर्ण परिचय ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है बल्कि इसे जानबुझकर सामने ही नहीं लाया जा रहा है तो ऐसे में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र और अपील दोनों ही खारिज होने योग्य है। प्रत्यर्थी के खाते में जो 4 बीघा भूमि दर्ज चली आ रही है उसकी नक्शा ट्रेस में पैमूदगी की आज्ञा प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्राप्त की, उससे अपीलार्थी का ऐसा कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे वे अपने आपको पीड़ित कअपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हों। एक खातेदार का यह मूलभूत अधिकार है कि उसे यह पता चले कि जो जमीन उनके कब्जे में होकर उसके खातें में दर्ज है, मौके पर वह कहॉ व किन पड़ौस के मध्य स्थित है। इस तरह के अजनबी व्यक्तियों को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती रही तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरूप्योग करेंगें और इसकी आड़ में अपनी धौंस पट्टी जमाऐगें। अपीलार्थी द्वारा बिना माइण्ड एप्लाई किये मेनेनिकली इन्हें अपनी लिखित बहस में अंकित कर दिया है। यहॉ पर प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थिति यह है कि आराजी नम्बर 936/451–255 के एक खातेदार प्रत्यर्थी सं. 1 ने राजस्व नक्शा में अपनी आराजी की पैमूदगी करवा ली हो तो इस आराजी से दूर स्थित अन्य आराजियात के खातेदार अपीलार्थीगण क्या ऐसा कहकर अपील पेश करने की अनुमति मांग सकते है कि उनसे दूर बैठा प्रत्यर्थी सं. 1 पैमूदगी के आधार पर उन्हे धमकी दे रहा है क्या धमनी देने का विधि उपचार यह है कि पैमूदगी की आज्ञा के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति मांगी जाय ? इसका विधिक उपचार निषेधाज्ञा का वाद पेश करना मात्र है। कल तो किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भूमि का नामान्तरकरण खुल जाये तो क्या दूर स्थित अन्य भूमि पर बैठा कोई व्यक्ति ये कहकर अपील पेश करने की अनुमति मांग सकता है कि उसे धमकी दी जा रही है कि अन्य जमीन का नामान्तरकरण उसके नाम पर हो गया इस कारण वह अपनी जमीन छोड़कर चला जाय ? किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत कोई आदेश प्राप्त किया जावें तो उसे प्रश्नगत करने के लिये अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य एवं युक्तियुक्त आधार नहीं है। धमकी काई दी जाना साबित कर दिया जावें तो उससे तो अपीलाथीगण पीड़ित हो सकते है किन्तु क्या इस पीड़ा के निदान के लिये वे यहॉ आ सकते है ? अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें और उनका प्रार्थना पत्र और अपील सपरिव्यय खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । सर्वप्रथम हम प्रकरण में दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2015 को किया है जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.12.2015 को प्रस्तुत की गई है। यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अन्यथा जानकारी उपलब्ध होने की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा मियाद आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाती है।

प्रकरण में अब हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन में जो कथन किये है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन में कथन किये है, वे हमारे द्वारा ऊपर वर्णित किये जा चुके है। प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें अब अपील प्रस्तत किये जाने की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अपीलान्ट का आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होना प्रमाणित होने पर ही उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार उनके (अपीलान्ट के) हितबद्ध एवं व्यथित होने बाबत सिद्ध करने का दायित्व अपीलान्ट का है। अपीलान्ट द्वारा आश्चर्यजनक रूप से अपनी इस हितबद्धता को प्रमाणित किये जाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं न ही साक्ष्यों को अपील स्तर पर लिये जाने के लिए आदेश 41 नियम 27 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा कुछ दस्तावेजात की फोटोप्रतियां पेश की है जिन्हे बिना आवेदन एवं अप्रमाणित प्रतियां होने के कारण विधिक रूप से पठनीय नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन में जो उज्र लिये गये है उसमें प्रमुख उज्र यह है कि मूल आराजी के कुछ हिस्से के वे भी क्रेता है एवं काबिज है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलान्ट का हितबद्धता सिर्फ तभी मानी जा सकती है जब वह यह व्यक्त रूप से प्रमाणित कर दे कि रेस्पोडेन्ट की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तरमीम उनकी भूमि से कोई सहसंबद्धता रखती है अर्थात अपीलान्ट की उसके द्वारा वर्णित भूमियां रेस्पोडेन्ट की भूमि के पड़ौस में है अथवा अपीलान्ट की भूमियां जिस पर उसका स्वत्व है तथा कब्जा है उसकी तरमीम रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर दी गई हो । अपीलान्ट द्वारा इस आशय की कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम से अपीलान्ट को हितबद्ध प्रत्यक्ष अथवा प्रकारान्तर से माना जा सकें। अपीलान्ट का मूल उसी आराजी में जिसमें रेस्पोडेन्ट का भी स्वत्व है, होने से ही अपीलान्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार माने जाने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्तानुसार अपीलान्ट को हम आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते है। अतः अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 96 जा.दी. के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता एवं आवेदन खारिज किया जाता है। अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरे तथा अन्य विवेचन प्रासंगिक ही नहीं रहता है क्योंकि किसी भी अपील में यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं है तो उसे अपीलीय न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए हमारे उपरोक्त विवेचनानुसार अपनी हितबद्धता अथवा व्यथित होने को सिद्ध किया जाना अपरिहार्य है अन्यथा कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी न्यायालय के किसी भी प्रकरण में बिना हितबद्धता के अथवा व्यथित हुए अपील प्रस्तुत करके अनावश्यक वादकरण सृजित करेगा जो कदापि न्याय व्यवस्था के लिए समीचीन एवं उचित नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा अपील उसके दफा 96 जा.दी. के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाकर खारिज किये जाने के कारण अपील खारिज करते है।

निर्णय दिनांक 05.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official